न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : राहुल श्रीवास्वत (आई0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 206 / 2024

अनवान : –

1. एकता पत्नि संजीव कुमार जाति जाट निवासी अरड़की तहसील नोहर।
2. माया पत्नि कुलदीप कुमार जाति जाट निवासी अरड़की तहसील नोहर

– प्रार्थीगण

बनाम्

1. हनुमानगिर पुत्र मनफुलगिर जाति गुसाई (गुंसाई) निवासी अरड़की तहसील नोहर
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।
3. उप पंजीयक कार्यालय नोहर तहसील नोहर।

– अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट.

उपस्थिति :– श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता **सायल**
श्री भरतसिंह बैनीवाल अधिवक्ता गैरसायल

निर्णय दिनांकः 15/10/25

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थी ने जरिये अधिवक्ता यह प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया कि रोही मौजा अरड़की तहसील नोहर के खाता सं. 69 / 65 के ख.न. 233 की 11.1040 हैक्टर, ख.न. 422 की 12.1910 हैक्टर भूमि ख.न. 424 की 2.6180 हैक्टर भूमि ख.न. 425 की 2.9090 हैक्टर भूमि ख.न. 429 की 2.9720 हैक्टर भूमि कुल 5 खसरेजात की तादादी 31.7940 हैक्टर भूमि मे सायल व गैरसायल स0 1 संयुक्त खाता मे खातेदार काश्तकार दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

वादग्रस्त भूमि मुश्तरका तौर से है तथा सायल व गैरसायल नीव सीव व लगान काश्त एवं रास्ता सम्बधि व रास्ता बाबत हमेशा तनाजात बना रहता है। इसलिए सायल वाद भूमि का खाता व लगान अलहदा–अलहदा करवा अलग–अलग राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवापाने के अधिकारी है। वाद भूमि मुश्तरका दर्ज होने के कारण गैरसायल सदामत से चले आ रहे रास्ता को बन्द करने पर उतारू है एवं सायल के कब्जा काश्त की भूमि को अन्य अजनबी क्रेतागणों को बेचान करना चाहते है इसलिए गैरसायलान को पाबन्द किया जावे की वे उक्त भूमि के मौका व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। रोही मौजा अरड़की तहसील नोहर के खाता स0 69 / 65 की कुल 31.7940 हेक्टर भूमि में अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा विरूद्ध अप्रार्थी स0 1 इस आशय की जारी की गई की अप्रार्थी स0 1 उक्त के विशेष हिस्से का बेचान न करे एवं चालु रास्ता को बंद न करे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2025.11.03 17:46:17 IST
Reason: SelfAttested

अप्रार्थी को तबल किया गया। अप्रार्थी स0 1 ने जवाब प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश किया की अप्रार्थी संख्या 1 का उक्त भूमि को बेचान करने का कोई ईरादा नही है एवं अप्रार्थी

उपखण्ड अधिकारी Rahul
नोहर

स0 1 रिकार्डेड खातेदार है रिकॉर्डेड खातेदार को पाबन्द किया जाना उचित नही है। अतः जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज फरमावे।

बहस अधिवक्ता उभयपक्ष सुनी गई। अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए बहस में निवेदन किया की उक्त वाद भूमि में से प्रार्थी ने अपने हक हिस्सा की भूमि को अपनी मेहनत से समतल व उपजाऊ बना रखा है। प्रार्थी की अच्छी किस्म की कृषि भूमि होने के कारण गैरसायलान अजनबी क्रेता को सायल की कृषि भूमि दिखाकर रहन/बैय करने पर उतारू है तथा सायल के हक हिस्सा की भूमि पर काबिज होना चाहते है एवं भूमि संयुक्त खाता मे दर्ज होने के कारण सदामत से चले आ रहे रास्ता को बंद करना चाहते है जिसके कारण सायल को ना पुरा होने वाला नुकसान होगा इसलिए गैरसायल के खिलाफ रहन, बैय की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करने के आदेश फरमावे।

अधिवक्ता अप्रार्थीगण ने बहस में कथन किया की वाद खाता विभाजन का है। वाद भूमि अप्रार्थीगण द्वारा किसी विशेष हिस्से का बेचान नही किया जा रहा है केवल राजस्व रिकार्ड मे दर्ज अपने हक व हिस्सा का बेचना किया जा रहा है, कोई भी खातेदार राजस्व रिकार्ड में दर्ज अपने हक व हिस्सा का रहन, बैय करने हेतु स्वतंत्र है एवं गैरसायल रिकॉर्डेड खातेदार है तथा उक्त बिन्दुओं के मध्यनजर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज फरमावें।

बहस उभयपक्ष प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 सुनी गई। हमने प्रार्थना पत्र, जवाब प्रार्थना पत्र, उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का गहन अध्ययन करने के उपरान्त इस नतीजे पर पहुचे है कि वादग्रस्त भूमि बाबत खाता विभाजन मूल दावें के निर्णय में तय होना है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 212 के प्रार्थना पत्र के निस्तारण के दौरान केवल यह देखना है कि प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन किसके पक्ष मे है तथा अपूर्णीय क्षति किसको होती है? पत्रावली में प्रस्तुत राजस्व रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा अरड़की तहसील नोहर के खाता स0 69/65 की कुल 31.7940 हेक्ट भूमि में सायल व गैरसायलान के नाम मुश्तरका खाता में अन्य सहखातेदार के साथ भूमि दर्ज है। मुश्तरका खातेदार काश्तकार अपने हक हिस्सा व किस्म भूमि के अनुसार खाता व लगान राजस्व रिकार्ड में अलग से कायम करवाने का अधिकारी है जो वाद में साक्ष्य सबूतों के आधार पर तय होना है अप्रार्थीगण द्वारा केवल राजस्व रिकार्ड में दर्ज अपने हक व हिस्सा की भूमि को रहन, बैय व मुन्तकिल किया जा रहा है। वाद भूमि संयुक्त खाता में दर्ज है अप्रार्थी सिर्फ अपने हक व हिस्सा की भूमि को रहन व बैय कर रहे है न कि किसी विशेष भू भाग/ख0न0 को रहन व बैय कर रहे है चूंकि प्रार्थी एवं अप्रार्थी संयुक्त खातेदार दर्ज राजस्व रिकार्ड है, अप्रार्थी द्वारा अपने हिस्से को रहन व बैय करने से प्रार्थी को कोई अपूर्णीय क्षति नही होगी क्योंकि अप्रार्थी द्वारा केवल राजस्व रिकार्ड में दर्ज अपने हक व हिस्से को ही रहन, बैय किया जा रहा है न कि प्रार्थी के हिस्से को अतः विशेष हिस्से व रहन बैय हेतु अप्रार्थी को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना न्यायोचित नही है लेकिन संयुक्त खाता [illegible] से चले आ रहे रास्ता को अगर अप्रार्थीगण द्वारा बंद किया जाता है तो अपूर्णीय क्षति प्रार्थी को होगी अतः आवागमन में किसी प्रकार की कोई बाधा न करे बाबत उभयपक्ष को पाबन्द किया जाना न्यायोचित है। उक्त विवेचनानुसार प्रथम दृष्टया मामला आंशिक रूप से [illegible]र्थी के पक्ष में साबित होता है जब प्रथम

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2025.11.03 17:46:17 IST
Reason: SelfAttested

Rahul
उपखण्ड अधिकारी
नोहर

दृष्टया मामला आंशिक प्रार्थी के पक्ष में सिद्ध हो गया है तो सुविधा का संतुलन भी आंशिक प्रार्थी के पक्ष में सिद्ध होता है।

अतः उपरोक्त विवेचन स्वरूप प्रार्थी प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम अस्थाई निषेधाज्ञा आंशिक साबित होने के कारण आंशिक स्वीकार किया जाता है एवं दिनांक 12.08.2024 को जारी की गई अस्थायी निषेधाज्ञा खारिज की जाती है एवं उपभपक्षों को पाबन्द किया जाता है की वे रोही मौजा अरड़की तहसील नोहर के खाता स0 69/65 की कुल 31.7940 हेक्ट भूमि में एकदुसरे के आवागमन मे कोई बाधा पैदा न करे। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 15/10/25 मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Rahul

(राहुल श्रीवास्तव I.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2025.11.03 17:46:17 IST
Reason: SelfAttested